



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263048
CG-DL-E-13052025-263048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]
No. 357]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2025/वैशाख 18, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2025/VAISAKHA 18, 1947

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

फा. सं. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 63 के तहत बनाई गई पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में), पारेषण योजना के लिए निम्नलिखित बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त करती है, जैसा कि पारेषण योजना के नाम के आगे दर्शाया गया है:

क्रम. सं.	पारेषण योजना का नाम	पारेषण योजना का व्यापक दायरा * तथा अनुमानित कार्यान्वयन समय सीमा	बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी)
1	1. नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के एकीकरण के लिए दावणगेरे में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	1. दावणगेरे पीएस में 4x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (पांचवा-आठवाँ) द्वारा बिजली को परिणत करने की क्षमता का विस्तार 2. दावणगेरे/चित्रदुर्ग पीएस में	आरईसीपीडीसीएल

		765/400 केवी, 1x1500 एमवीए आईसीटी द्वारा बिजली को परिणत करने की क्षमता का विस्तार 3. दावणगेरे/चित्रदुर्ग पीएस में नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के समर्पित पारेषण लाइनो को जोड़ने के लिए 220 केवी लाइन की 2 लाइन बे कार्यान्वयन समय सीमा: एसपीवी हस्तांतरण से 24 महीने	
--	--	---	--

* पारेषण योजना का विस्तृत कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय पारेषण समिति की 28 वीं बैठक के कार्यवृत्त और अनुवर्ती संशोधन, में निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2025/03/MoM_28th_NCT.pdf

बोली-प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

श्रवण कुमार सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./89/2025-26]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

File No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II.— appoints the following Bid-Process Coordinator (BPC) for the Transmission Schemes, as Division In exercise of the powers conferred by Para 3.2 of the Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Services framed under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (no. 36 of 2003) and Ministry of Power office order dated 28.10.2021, National Committee on Transmission (NCT) headed by Chairperson, Central Electricity Authority hereby shown against the name of the Transmission schemes:

Sr. No.	Name of Scheme	Broad Scope* of the transmission scheme and Tentative Implementation timeframe	Bid Process Coordinator
1	Transmission system strengthening at Davanagere for integration of RE generation	1. Augmentation of transformation capacity by 4x500 MVA, 400/220kV ICTs (5th – 8th) at Davanagere PS 2. Augmentation of Davanagere / Chitradurga PS by 765/400kV, 1x1500 MVA ICTs 3. 2 Nos. of 220kV line bays at Davanagere / Chitradurga PS for termination of dedicated transmission lines of RE generation projects Implementation time frame: 24 Months from the date of SPV transfer	RECPDCL

*Detailed scope may be seen in the minutes of the 28th meeting of the National Committee on Transmission and subsequent amendments, available at:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2025/03/MoM_28th_NCT.pdf

The appointment of the Bid-Process Coordinators is subject to the conditions laid down in the Guidelines.

SHARVAAN KUMAR , Secretary,CEA

[Advt. III/4/Exty./89/2025-26]